

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,
जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 508 / 14

संस्थित दिनांक-10.06.2014

फा.नं..234503002002014

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना बैहर

जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोजन

// विरुद्ध //

दुर्गेश पिता शिवचरण गजभिये, उम्र-28 वर्ष,

निवासी ग्राम कटंगी थाना बैहर जिला बालाघाट म0प्र0

.....आरोपी

::निर्णय::

{ दिनांक **29 / 06 / 2017** को घोषित }

1. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है, कि उसने दिनांक 15.03.2014 को समय 7:00 बजे स्थान गोहारा पुल टेक के उपर थाना बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन बस क्रमांक एम.पी.50/पी.0738 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा आहत सुरेन्द्र को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित किया।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 15.03.2014 के रोजनामचासान्हा 733 की अस्पताल तहरीर जांच दौरान आहत सुरेन्द्र का मुलाहिजा करवाया तथा कथन लेख किये। गवाहों के कथन लेख किये गये जिसमें उन्होंने बताये कि दिनांक 15.03.2014 को आहत सुरेन्द्र अपने भाई गणेश से बालाघाट से मिलकर नारायण बस क्रमांक एम.पी.50पी.0738 में बैठकर आ रहा था, तभी शाम रात्रि करीब 7:00 बजे गोहारा पुल के पास बस पहुँची, पुल के टेक पर काफी कीचड़ होने से बस के कुछ यात्री नीचे उतर कर टेक चढ़ रहे थे और प्रार्थी सुरेन्द्र परते भी पैदल टेक चढ़ रहा था, तभी नारायण बस के चालक दुर्गेश ने बस को लापरवाहीपूर्वक चलाकर आहत को ठोस मार दिया जिससे आहत के बांये बकखे, सीना तथा कोथे में चोटें आई। आरोपी द्वारा किया गया अपराध सदर का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर जमानत मुचलका पर छोड़ा गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान क्रमांक 71/2014 दिनांक 31.05.2014 तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में यह बचाव लिया है कि वह निर्दोष हैं तथा उसे झूठा फंसाया गया है कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक 15.03.2014 को समय 7:00 बजे स्थान गोहारा पुल टेक के उपर थाना बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन बस क्रमांक एम.पी.50/पी.0738 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- (2) क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन अथवा उपेक्षा से चलाकर आहत सुरेन्द्र को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित किया ?

::सकारण व निष्कर्ष::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

नोट:-साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

5. साक्षी संतोष अ0सा0-01 ने कहा है कि वह आरोपी एवं प्रार्थी को नहीं जानता है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक 15.03.2014 को शाम के 7:00 बजे स्थान ग्राम गुहारा की है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को उसकी मेटाडोर से टाईल्स भरकर ला रहा था और गुहारा टेक के पास कीचड़ होने के कारण उसकी गाड़ी फंस गई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह वहीं पर खड़ा था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि दिनांक 15.03.2014 को शाम करीब सात बजे नारायण बस क्रमांक एम.पी.50पी.0738 को ड्रायवर दुर्गेश ने तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर सुरेन्द्र परते को ठोस मार दिया था, जिससे उसे बक्खे, सीने और हाथ में चोटें आई थी और उसे ईलाज के लिये बैहर अस्पताल ले गये थे। साक्षी ने प्र.पी.01 के ए से ए भाग का कथन पुलिस को देने से इंकार किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि बैहर, बालाघाट सड़क बन रही थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि सड़क बनने से वाहन निकलने के लिये अलग से सड़क बनी हुई थी। यह भी स्वीकार किया है कि सड़क कीचड़ वाली थी, जिसमें कई गाड़ियां फंस जाती थी और उसकी भी गाड़ी फंस रही थी पर निकल गई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसे

घटना की कोई जानकारी नहीं है और न ही उसने प्र.पी.01 का बयान पुलिस को दिया था। साक्षी ने कहा है कि पुलिस ने उसके बयान कैसे दर्ज कर लिये वह नहीं बता सकता।

6. साक्षी सिरजू अ0सा0-02 ने कहा है कि कहा है कि वह आरोपी एवं प्रार्थी को नहीं जानता है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और पुलिस ने उसके कोई बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि दिनांक 15.03.2014 को शाम के 7:00 बजे ग्राम गुहारा की उसके मकान के सामने वह रोड़ पर खड़ा था और उसने घटना होते हुये देखा था और उसी समय नारायण बस का चालक दुर्गेश कुमार अपने वाहन बस क्रमांक एम.पी.50पी.0738 को कीचड़ अधिक होने के कारण कुछ सवारी को नीचे उतार दिया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि कुछ सवारी उतरकर टेक चढ़ रही थी, तभी दुर्गेशकुमार ने सुरेन्द्र परते को ठोस मार दिया था, जिससे उसे बक्खे, सीने में चोटें आई थी और उसे इलाज के लिये बैहर अस्पताल ले गये थे। साक्षी ने प्र.पी.02 के ए से ए भाग का कथन पुलिस को देने से इंकार किया।

7. साक्षी रामकुमार अ0सा0-03 ने कहा है कि कहा है कि वह आरोपी एवं प्रार्थी को नहीं जानता है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। उसके बताये अनुसार पुलिस ने घटना का मौकानक्शा नहीं बनाई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटना का मौकानक्शा प्र.पी03 बनाई थी, परंतु मौकानक्शा प्र.पी03 के ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह घटना दिनांक 15.03.2014 को गुहारा पुल टेक पर वाहन बस क्रमांक एम.पी.50/पी-0738 के चालक दुर्गेश द्वारा अपनी बस को तेज रफ़्तार लापरवाहीपूर्वक चलाकर उससे उतर रहे यात्री सुरेन्द्र परते को ठोस मार दिया, जिससे उसे चोटें आयी थीं। यह भी अस्वीकार किया है कि सुरेश को चोट आने पर उसे अस्पताल बैहर में इलाज हेतु भर्ती कराया गया था। साक्षी ने प्र.पी.04 के ए से ए भाग का कथन पुलिस को देने से इंकार किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा है। पुलिस ने उसके समक्ष कोई मौकानक्शा नहीं बनाया था। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था और ना ही पुलिस ने उससे कोई पूछताछ की थी। उसने पुलिस के कहने पर मौकानक्शा प्र.पी03 पर हस्ताक्षर कर दिया था।

8. साक्षी फगनसिंह अ0सा0-04 ने कहा है कि वह आरोपी एवं प्रार्थी

को नहीं जानता है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक 15.03.2014 को ग्राम गोहारा पुल की है। यह भी अस्वीकार किया है कि वह घर के सामने रोड तरफ खड़ा था, उसी समय नारायण बस क्रमांक एम.पी.50/पी-0738 का ड्राइवर दुर्गेशकुमार पुल पर सवारी उतारकर बस को लापरवाहीपूर्वक चलाकर सुरेन्द्र परते को ठोस मारकर चोट पहुँचाया था, जिससे उसे चोटें आयी थीं और बाद में ईलाज हेतु बैहर अस्पताल ले गये थे। साक्षी ने पुलिस कथन प्र.पी.05 का कथन पुलिस को देने से इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसे घटना के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था और न ही पुलिस ने उससे किसी प्रकार की पूछताछ की थी।

9. साक्षी सुरेन्द्र कुमार परते अ0सा0-5 ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता हूँ। घटना करीब तीन वर्ष पूर्व गोहारा पुल के पास की है। घटना के समय वह बस से बालाघाट से जानपुर जा रहा था। गोहारा पुल के पास बस से उतरते समय वह गिर गया था, जिससे उसे सीने में चोटें आई थी। बाद में उसका मुलाहिजा बैहर अस्पताल में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक 15.03.2014 की है। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया है कि वह घटना के समय नारायण बस क्रमांक एम.पी.50पी0738 में बैठकर जा रहा था, जिसे आरोपी दुर्गेश चला रहा था। यह भी अस्वीकार किया है कि गोहारा पुल टेक के उपर काफी कीचड़ होने से कुछ सवारी बस से उतर रही थी तो वह भी बस से उतरकर चढ़ रहा था। यह भी अस्वीकार किया है कि उसी समय बस चालक दुर्गेश ने बस को लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसे ठोस मार दिया था, जिससे उसे सीने व अन्य जगह चोट आई थी। साक्षी ने पुलिस कथन प्र.पी.06 का देने से इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को बस का नाम एवं नंबर नहीं बताया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस को उसने आरोपी का नाम नहीं बताया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे चोट बस से उतरने के दौरान उसकी गलती से आई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि बस ने टक्कर नहीं मारी थी।

10. साक्षी आर.के.सिंह ठाकुर अ0सा0-6 ने कहा है कि वह दिनांक 15.03.2014 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अस्पताल तहरीर आहत सुरेन्द्र पिता अकलसिंह की प्राप्त होने पर जांच कर चोटों का डॉक्टरी मुलाहिजा कराया था। उक्त दिनांक को तहरीर जांच पर

अपराध क्रमांक 48/14 धारा 279, 337 भा.दं.सं. एवं 184 मो.व्ही.एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.07 है जिसके ए से ए एवं बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 16.03.2014 को ही गवाह राजकुमार की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नजरीनक्शा प्र.पी.03 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आहत सुरेन्द्र, गवाह संतोष, राजकुमार, सरजू, फगनसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। उक्त दिनांक को ही दुर्गेश कुमार से समय 13:30 बजे नारायण बस लाल एवं सफेद कलर की चालू हालत में मय दस्तावेज सहित गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.08 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण सुरेन्द्र बिसेन से कराया गया था। दिनांक 16.03.2014 को गवाहों के समक्ष आरोपी दुर्गेश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.09 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपी दुर्गेश को जमानत मुचलके पर रिहा किया गया था। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र तैयार किया जाकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के एक दिन बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई थी। साक्षी के अनुसार अस्पताल तहरीर जांच उपरांत लेख की गई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलंब का कारण लेख नहीं किया गया है। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख होने के तुरंत बाद घटनास्थल पर पहुँचा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराने आहत नहीं आया था। साक्षी के अनुसार अस्पताल तहरीर प्राप्त हुई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मौकानक्शा आहत की निशादेही पर नहीं बनाया गया है। साक्षी के अनुसार कि गवाह की निशादेही पर बनाया गया था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने आहत एवं गवाहों के कथन अपने मन से लेख किये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने जप्ती के गवाहों के कथन लेखबद्ध कर प्रकरण में संलग्न नहीं किया है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने साक्षीगण के कथन थाने में बैठकर तैयार किया था। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया है कि मौकानक्शा थाने में बैठकर तैयार किया था। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने प्रकरण की विवेचना झूठी की है।

11. उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को सड़क दुर्घटना में आहत सुरेन्द्र परते को चोटें आई थी, परन्तु उक्त चोट अभियुक्त के उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण आचरण से कारित हुई थी, उक्त

संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। स्वयं घटना के आहत सुरेन्द्र परते अ.सा.05 ने घटना में अभियुक्त की किसी प्रकार की गलती होने से इंकार कर बस से उतरने के दौरान चोटें आने के कथन किये हैं। उक्त साक्षी ने अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि आरोपी से समझौता होने के कारण वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। ऐसी स्थिति में साक्षी के कथन में अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अन्य किसी भी अभियोजन साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। फलतः अभियोजन पक्ष यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 15.03.2014 को समय 7:00 बजे स्थान गोहारा पुल टेक के उपर थाना बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन बस क्रमांक एम.पी.50/पी.0738 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा आहत सुरेन्द्र को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित किया था। अतः अभियुक्त दुर्गेश पिता शिवचरण गजभिये को भा.दं०सं० की धारा 279, 338 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्रमांक एम.पी.50/पी.0738 के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

14. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा०फौ० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)